भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ

फा. संख्या 6/06/2024-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

तारीख: 29 मार्च, 2024

जांच शुरूआत अधिसूचना
मामला संख्याः एडी (ओआई) -06/2024

विषय: चीन जन.गण. से "एजो पिगमेंट" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

1. सुदर्शन केमिकल लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार, चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एजो पिगमेंट" (जिसे यहां आगे "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत का अनुरोध करते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के आयात पाटित कीमतों पर भारतीय कीमतों में प्रवेश कर रहे हैं जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है । और संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों संबंधी पाटनरोधी जांच शुरू करने का अनुरोध किया है ।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)</u>

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "एजो पिगमेंट" है । विचाराधीन उत्पाद सिंथेटिक आर्गेनिक पिगमेंट की श्रेणी में आता है । इसका व्यापक रूप से पेंट, स्याही, प्लास्टिक, वस्त्र और सौदर्य प्रसाधन सहित विभिन्न उद्योगों में प्रयोग होता है ।

4. संबद्ध वस्तु को तीन अलग अलग रंगों जैसे यलो पिगमेंट, रेड पिगमेंट और औरेंज पिगमेंट में व्यापार किया जाता है । अलग अलग रंग होने के बावजूद प्रत्येक रंग की उप-श्रेणियां हैं । प्रत्येक रंग के अलग-अलग ग्रेड हैं और प्रत्येक ग्रेड का अलग रासायनिक सांद्रण और विशेषताएं हैं तथा इसलिए भिन्न-भिन्न अंतिम उपयोग हैं । विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए रंग के प्रभाव देने के लिए किया जाता है और इसे व्यापक रूप से विभिन्न उद्योगों में उपयोग किया जाता है ।

5. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अनुसार यह उत्पाद अध्याय 32041711, 32041720 और 32041731 के तहत अध्याय 32 के तहत एक समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण है। हालांकि, विचाराधीन उत्पाद को अन्य उप-शीर्ष 32041719, 32041739, 32041740, 32041759, 32041769 और 32041790 के तहत भी आयात किया जा रहा है। र सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से विषय जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ख. <u>उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन)</u>

6. आवेदक ने उत्पादित समान वस्तु के साथ आयातित उत्पाद की उचित तुलना करने के लिए नीचे दिए गए उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) का प्रस्ताव दिया है।

एस एन	**पी सीएन पैरामीटर्स**	**पीसीएन को प्रपोज किया**	**पी सीएन कोड**
1	रंग	a. नारंगी b. लाल c. पीला	ओ/आर/वाई
2	रंग सूचकांक	a. पीओ 13, पीओ 34, पीओ5, पीओ 36 आदि।	XX

		b. पीआर 57:1, पीआर 53:1, पीआर 48:1, पीआर 48:2, आदि। c. पीवाई 13, पीवाई 174, पीवाई 191, पीवाई 74 आदि।	

7. जांच के पक्षकार जांच शुरू होने की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर इस जांच के प्रयोजन के लिए विचाराधीन प्रस्तावित उत्पाद/पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं। इच्छुक पार्टियों को प्रासंगिक साक्ष्य के साथ अपनी टिप्पणियों को साबित करने की आवश्यकता है।

ग. <u>समान वस्तु</u>

8. आवेदक ने दावा किया है कि चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (ए) (आई) के संदर्भ में, चीनी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य चीन में प्रचलित लागत या घरेलू बिक्री कीमतों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, केवल तभी जब जवाब देने वाले चीनी उत्पादक प्रदर्शित करते हैं कि उनकी लागत और मूल्य की जानकारी बाजार संचालित सिद्धांतों पर आधारित है और एडीडी नियमों के अनुलग्नक I के पैरा 1 से 6 के संदर्भ में उचित तुलना की अनुमति देती है, ऐसा न करने पर, चीनी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य नियमों के अनुबंध के पैरा 7 और 8 के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

घ. <u>संबद्ध देश</u>

9. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. है ।

ड. <u>जांच की अवधि</u>

10. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (POI) 1 अक्टूबर 2022 - 30 सितंबर 2023 (12 महीने की अवधि) है। जांच के लिए क्षति की अवधि 2020-21, 2021-22, 2022-23 और जांच की अवधि को कवर करेगी।

च. <u>घरेलू उद्योग और स्थिति</u>

11. आवेदन मेसर्स सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक के अलावा, अनुपम कलर्स प्राइवेट लिमिटेड, हरक्यूलिस पिग्मेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, क्वालिकेम प्राइवेट लिमिटेड, माइकास ऑर्गेनिक लिमिटेड, यूनिटी डाई केम प्राइवेट लिमिटेड, विजय केमिकल इंडस्ट्रीज और वोक्सको पिग्मेंट्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने भी आवेदन का समर्थन किया है। इसके अलावा, पिगमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी आवेदन का समर्थन किया है।

12. उपलब्ध जानकारी के आधार पर, सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का उत्पादन भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन में इसका एक प्रमुख हिस्सा है। इसके अलावा, आवेदक ने कहा है कि उसने विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश से आयात नहीं किया है और इसका संबंध संबद्ध देश के किसी निर्यातक या भारत में किसी आयातक से नहीं है।

13. रिकॉर्ड में सूचना के अनुसार प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है ।

<u>सामान्य मूल्य</u>

14. आवेदक ने दावा किया है कि चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) (i) के अनुसार चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य चीन में प्रचलित लागतों या घरेलू बिक्री कीमतों के आधार पर केवल तभी निर्धारित किया जाए यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह दर्शाएं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चालित सिद्धांतों पर आधारित है और एडीडी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 1 से 6 के अनुसार इसकी उचित तुलना करें । ऐसा नहीं होने पर चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

15. आवेदक ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद जर्मनी और कोरिया से भारत में आयात किया जाता है। कोरिया आरपी की आयात मात्रा डी-मिनिमिस स्तर से ऊपर है। इसलिए, आवेदक ने कोरिया आरपी से आयात मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इच्छुक पार्टियां आवेदक द्वारा प्रस्तावित सामान्य मूल्य पद्धति पर अपनी टिप्पणियां दे सकती हैं।

16. शुरुआत के उद्देश्य से, और नियमों के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार, प्राधिकरण ने भारत में भुगतान की गई या देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार किया

है। प्राधिकरण ने सामान्य मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य से घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत को लाभ में उचित वृद्धि के साथ समायोजित माना है

छ. <u>निर्यात कीमत</u>

17. आवेदक ने द्वितीयक स्त्रोत आंकड़ों में यथासूचित संबंधित माल के सीआईएफ मूल्य पर विचार करके विचाराधीन उत्पाद के निर्यात मूल्य की गणना की है। एक्स-फैक्ट्री निर्यात मूल्य पर पहुंचने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़ा, बंदरगाह व्यय और बैंक शुल्क के कारण मूल्य समायोजन किया गया है। आवेदक द्वारा दावा किए गए निर्यात मूल्य पर प्रथम दृष्टया जांच शुरू करने के प्रयोजन से विचार किया जाता है।

ज. <u>पाटन मार्जिन</u>

18. सामान्य मूल्य और ऊपर निर्धारित निर्यात मूल्य को ध्यान में रखते हुए, डंपिंग माजन निर्धारित किया गया है। यह नोट किया गया है कि डंपिंग मार्जिन महत्वपूर्ण है और न्यूनतम स्तर से ऊपर है। इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि विचाराधीन उत्पाद का सामान्य मूल्य उस मूल्य से अधिक है जिस पर इसे संबंधित देश से निर्यात किया जाता है जिससे यह संकेत मिलता है कि संबंधित देश से उत्पन्न या निर्यात किए गए उत्पाद को निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है।

झ. <u>क्षति और कारणात्मक संबंध</u>

19. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए आवेदक द्वारा दी गई जानकारी पर विचार किया गया है। आवेदक ने कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। आवेदक ने दावा किया है कि मांग और आपूर्ति में कोई अंतर नहीं होने के बावजूद, संबद्ध आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है। अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए, आवेदक ने अपनी लाभप्रदता का त्याग कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप लाभ, नकद लाभ, पीबीआईटी और निवेश पर रिटर्न में गिरावट आई है। पाटन रोधी जांच की शुरुआत को उचित ठहराने के लिए विषयगत देश से

विषयगत वस्तुओं के डंप किए गए आयात से घरेलू उद्योग को होने वाली भौतिक क्षति के प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं।

ञ. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

20. आवेदक द्वारा दायर किए गए विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, और आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, विषयगत देश में उत्पन्न होने वाले या वहां से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद की डंपिंग, घरेलू क्षति को प्रमाणित करने के बाद खुद को संतुष्ट कर लिया है। उद्योग और ऐसे कथित पाटन और क्षति के बीच कारण संबंध, और नियमों के नियम 5 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 9 ए के अनुसार, प्राधिकरण, इसके संबंध में किसी भी कथित पाटन के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव को निर्धारित करने के लिए जांच शुरू करता है। विषयगत देश में उत्पन्न होने वाले या वहां से निर्यात किए जाने वाले विचाराधीन उत्पाद और पाटनरोधी शुल्क क की मात्रा की सिफारिश करना, जो यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

ट. प्रक्रिया

21. वर्तमान जांच के लिए नियमों के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ठ. सूचना प्रस्तुत करना

22. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों dd15-dgtr@gov.in और dir 16-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adg16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

23. संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर विहित समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना जांच शुरूआत अधिसूचना, ए डी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी

द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना में यथाविहित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

24. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर जांच शुरूआत अधिसूचना, ए डी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना में यथाविहित ढंग और पद्धति से वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

26. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वैबसाइट अर्थात http://www.dgtr.gov.in/ को नियमित रूप से देखते रहें ।

ड. समय सीमा

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ए डी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों dd15-dgtr@gov.in और dir-16-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adg16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों और ए डी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

28. सभी इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर विषय की जांच में खुद को पंजीकृत करें और अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रिया दर्ज करें।

29. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है वहां उसे ए डी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार का पर्याप्त कारण बताना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए ।

ढ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

30. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले वर्तमान जांच के किसी पक्षकार को एडी नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

31. ऐसे अनुरोधों में प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए । ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी से किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी ऐसे अनुरोधों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों को निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

32. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है।

33. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार ए डी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के आधार पर इस आशय के कारणों का एक पर्याप्त विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी दस्तावेज के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकता है ।

34. गोपनीयता के दावे के संबंध में उसके किसी सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या ए डी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और उचित कारणों के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा ।

ण. <u>सार्वजनिक फाईल का निरीक्षण</u>

35. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश भेज दें ।

त. <u>असहयोग</u>

36. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है और उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी